शिमला से प्रकाशित
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
शैल
निष्पक्ष
एवं
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार
प्रकाशन का 47 वां वर्ष
ई–पेपर
www.facebook.com/shailsamachar
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक–35 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 22–29 अगस्त 2022 मूल्य पांच रूपए

# "धूमल को भारी मतों से विजयी बनाएं"
# इन्दु गोस्वामी की अपील नए समीकरणों की आहट

**शिमला/शैल।** भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सुजानपुर में आयोजित महिला सम्मान कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि पहुंची राज्यसभा सांसद इन्दु गोस्वामी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए वहां उपस्थित नारी शक्ति से अपील की है कि वह इस बार प्रेम कुमार धूमल को भारी मतों से विजयी बनाएं। इस अवसर पर इन्दु गोस्वामी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस बार प्रदेश में रिवाज बदलेगा और कमल खिलेगा। इन्दु गोस्वामी ने जिस तरह से धूमल को ज्यादा से ज्यादा मतों से जीताने की अपील की है उससे यह तो स्पष्ट हो जाता है की प्रो. धूमल आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले दिनों ऐसे संकेत सामने आ चुके हैं कि इस बार आयु सीमा सिद्धान्त का अक्षरश: अनुपालना नहीं की जायेगी। केवल सीट जीतने की संभावना का गणित ही मुख्य आधार रहेगा। जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में है वहां पर येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना ही सबसे पहला उद्देश्य है। इस परिदृश्य में यदि हिमाचल प्रदेश की बात की जाये तो यहां पर लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा चार नगर निगमों के चुनावों में से दो में हार चुकी है। इस हार के बाद हुए तीन विधानसभा उपचुनाव और एक लोकसभा उपचुनाव सरकार हार चुकी है। इसी हार की आशंका से नगर निगम शिमला के चुनाव टल़ चुके हैं। सरकार हर महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने से कैसे बचती आ रही है इसका खुलासा इस विधानसभा के अन्तिम सत्र में आ चुका है। जब हर तीखे प्रश्न को ''सूचना एकत्रित की जा रही है'' कह कर टाला गया। यहां तक कि चार वर्ष से विज्ञापनों की जानकारी हर सत्र में सरकार से मांगी गयी और हर बार सूचना एकत्रित की जा रही का ही जवाब आया है। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जिस सरकार के पास विज्ञापनों आदि की जानकारी देने में घबराहट हो उसकी दूसरे मसलों पर स्थिति क्या होगी।

इस स्थिति से जनता का ध्यान हटाने के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अन्दर तोड़फोड़ करने की रणनीति अपनाई गयी। यह माहौल खड़ा करने के लिए पहले चरण में दोनों निर्दलीय विधायकों को भाजपा में शामिल किया गया। संयोगवश इस शामिल होने का सीधा नुकसान धूमल के समर्थकों रविन्द्र रवि और गुलाब सिंह ठाकुर को हुआ। यह सामने आ गया कि यह फैसला लेते हुए न तो संबंधित मण्डलों को विश्वास में लिया गया और न ही पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को। इसका पार्टी के अन्दर विरोध होना स्वभाविक था और हुआ भी। इसको कवर करने के लिये दो कांग्रेस विधायकों पवन काजल और लखविंन्द्र राणा को दिल्ली में भाजपा में शामिल करवा दिया गया। इसका पार्टी द्वारा ढोल नगाड़ों से स्वागत होने की बजाये उल्टा मण्डलों में विरोध हो गया। आज भाजपा में शामिल चारों विधायकों को पार्टी टिकट देगी यह सीधे कहने का साहस न ही मुख्यमंत्री और न ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दिखा पाये हैं। बल्कि नड्डा तो जयराम के नेतृत्व का इशारा भी इशारों में ही करके गये हैं। कर्मचारी और अन्य वर्ग अपनी ओ.पी.एस. की मांग पर अड़े बैठे हैं। स्वर्ण आयोग अलग से गले की फांस बना हुआ है।

इस राजनीतिक परिदृश्य में जितने भी चुनाव पूर्व सर्वेक्षण हुए हैं उनमें किसी में भाजपा की सरकार नहीं बनी है। सरकार की प्रशासनिक समझ और पकड़ का ताजा उदाहरण लोक सेवा आयोग प्रकरण में सामने आ चुका है। इस पृष्ठभूमि में जब इन्दु गोस्वामी जैसा सांसद खुलेआम पूर्व मुख्यमन्त्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने की अपील करेगा तो उससे प्रदेश की राजनीति में नये समीकरणों की आहट को कोई भी कैसे अनसुना कर पायेगा। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्टता से सामने आ जायेगी।

# क्या प्रदेश कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है कुछ फैसलों से उठा सवाल

- ⇨ कांग्रेस के चुनावी वादों का वित्तीय स्त्रोत क्या होगा उठने लगा है सवाल
- ⇨ वित्तीय स्त्रोत का खुलासा किये बिना सरकार पर कर्ज बढ़ाने का आरोप लगाना आसान नहीं होगा

**शिमला/शैल।** क्या हिमाचल कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है? क्या कांग्रेस भाजपा से सत्ता छीन पायेगी? क्या कांग्रेस की गुटबाजी पार्टी पर फिर भारी पढ़ने जा रही हैं? क्या इन्हीं कारणों से कांग्रेस भाजपा के खिलाफ आरोप पत्र जारी नहीं कर पायी है? ऐसे कई सवाल हैं जो इन दिनों राजनीतिक विश्लेषकों के चिंतन मनन का मुद्दा बने हुये हैं। क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस के अन्दर जो कुछ घटा है उसी से यह सवाल स्वभाविक रूप से बाहर निकले हैं। कांग्रेस के दो विधायक कार्यकारी अध्यक्ष पवन काजल और नालागढ़ के विधायक लखविन्द्र राणा पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो गये हैं। ऐसा उस समय हुआ है जब कांग्रेस ने चार नगर निगमों में से दो में जीत हासिल की इसके बाद चारों उपचुनावों में जयराम सरकार और भाजपा को हराया। ऐसी पृष्ठभूमि के बाद विधायक पार्टी छोड़कर चले जायें और प्रदेश के नेतृत्व को इसकी पूर्व जानकारी तक न हो पाये तो निश्चित रूप से विश्लेषकों के लिए यह विश्लेषण का विषय बन जाता है। यही नहीं विधायकों के जाने के साथ ही सात ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को भंग किये जाने की खबर आ जाती है और पार्टी की अध्यक्षा को इसकी जानकारी नहीं होती है। इससे यह सामने आया कि पार्टी अध्यक्ष से हटकर भी कोई ऐसा है जो ऐसे फैसले ले रहा है। इस फैसला लेने वाली ताकत को यह तक एहसास नहीं हुआ कि चुनावों की पूर्व संध्या पर लिये गये ऐसे फैसले पार्टी की एकजुटता को लेकर क्या संदेश देंगे।

इसी पृष्ठभूमि में जब पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता आनन्द शर्मा ने प्रदेश की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया और यह कहा कि वह आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते तब स्थिति और भी हास्यस्पद हो गयी। क्योंकि आनन्द शर्मा तो स्वंय पार्टी की उस कमेटी के अध्यक्ष थे जिसने सब कुछ संचालित करना था। संचालन कमेटी के अध्यक्ष का कद तो कायदे से सबसे ऊंचा होता है। फिर जब संचालन कमेटी का अध्यक्ष अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की शिकायत करें तो और भी स्पष्ट हो जाता है कि कोई अदृश्य हाथ प्रदेश कांग्रेस के हाथ को भी पकड़ने की ताकत रखता है। ऐसे में यह सवाल उठना और स्वभाविक हो जाता है कि यह पता लगाया जाये कि यह अदृश्य हाथ किसका है और इसका संचालन कौन कर रहा है।

स्व.वीरभद्र सिंह के बाद नेतृत्व के नाम पर पार्टी एक शून्य जैसी स्थिति से गुजर रही है यह एक कड़वा सच है। इस समय वरीयता के नाम पर सबसे पहला नाम ठाकुर कौल सिंह का आता है जो 1977 में जनता पार्टी से जीत कर आये थे और 1980 में जनता पार्टी के प्रदेश में कांग्रेस में विलय होने पर कांग्रेस में शामिल हुये और आज तक कांग्रेस में हैं। आनन्द शर्मा ने तो पहला चुनाव है 1982 में लड़ा और 1984 में जब राज्यसभा का रुख किया तो फिर कभी प्रदेश में वापसी का प्रयास तक नहीं किया। उनके केंद्र में वरिष्ठ मंत्री होने का प्रदेश को सिर्फ पासपोर्ट कार्यालय के रूप में जो लाभ मिला है उससे हटकर और कुछ बड़ा योगदान प्रदेश में नहीं है। बल्कि अपनी सांसद निधि से अंबानी के मुंबई स्थित कैंसर अस्पताल को करोड़ों रुपए देना उनके नाम अवश्य लगता है। कॉल सिंह और आनन्द के बाद आज प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता लगभग एक ही वरीयता के हैं।

शेष पृष्ठ 8 पर.............

# मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों के वर्दी भत्ते में की वृद्धि की घोषणा

## वार्षिक वर्दी भत्ता 3675 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश पुलिस अधिकारियों का वार्षिक वर्दी भत्ता 3675 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पुलिस देश की सबसे अनुशासित और समर्पित पुलिस बलों में से एक है, जोकि प्रत्येक हिमाचलवासी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों और विषम कार्य समय के बावजूद राज्य पुलिस ने हमेशा उच्च कर्तव्यनिष्ठा और कर्मठता के मानकों को बरकरार रखा है।

Himachal Pradesh Police Officers
Welcomes
Shri Jai Ram Thakur
Hon'ble Chief Minister of Himachal Pradesh

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस बल के उच्च मनोबल को बनाए रखने के लिए बेहतरीन माहौल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले साढ़े चार साल की अवधि में पुलिस कर्मियों के विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पद भरे गए हैं और 2500 से अधिक पुलिस कर्मियों को पदोन्नत किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने और बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कई पुलिस चौकियां और पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। कांगड़ा जिले के नूरपुर में एक नया पुलिस जिला बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस उप अधीक्षक के 16 पदों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में स्तरोन्न्त करने का निर्णय लिया है। इससे पुलिस बल में पदोन्नतियों के ठहराव को दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ ही पुलिस बल की कार्यप्रणाली में भी भारी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रही प्रगति की चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस बल को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने पुलिस बल और जनता के बीच बेहतर समन्वय पर भी विशेष बल दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में राज्य पुलिस विभाग को सुदृढ़ किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान पुलिस बल को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस विभाग को 350 वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस बल के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए 300 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक इंटेलिजेंस संदीप भारद्वाज ने भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्यिों का स्वागत किया और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा अधिकारियों की कुछ मांगों से भी अवगत करवाया।

इस अवसर पर प्रधान सचिव गृह भरत खेड़ा, मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं प्रधान निजी सचिव डॉ. आर.एन. बत्ता, पुलिस महानिरीक्षक रामेश्वर ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

# राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाई

**शिमला/शैल।** राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में गरिमापूर्ण समारोह में रामेश्वर सिंह ठाकुर को हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने राकेश शर्मा, कर्नल राजेश कुमार शर्मा और डॉ. नैन सिंह को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने कार्यवाही का संचालन किया।

विधायकगण, मुख्य सचिव आर.डी. धीमान, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पी.एस. राणा, महाधिवक्ता अशोक शर्मा, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

# राज्यपाल ने 33 पाठशालाओं के 350 मेधावियों को सम्मानित किया

गरिमामय उपस्थिति
शिमला शहर के स्कूलों के टॉपर्स के सम्मान में
दिव्य हिमाचल प्रस्तुत करता है
शिमला के
आज़ादी का अमृत महोत्सव

**शिमला/शैल।** राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर, शिमला में दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप द्वारा आयोजित शिमला के मेधावी कार्यक्रम में 33 विद्यालयों के मेधावियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन विद्यापीठ शिमला के सहयोग से किया गया, जिसमें शहर के 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के लगभग 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और यह वह समय है जब हम अगले 25 वर्षों में किस दिशा में जाएगें, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थी भी हमें अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए हमें उनकी सराहना करनी चाहिए।

आर्लेकर ने कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली पाठय पुस्तकों पर आधारित शिक्षा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि हमें उस शिक्षा प्रणाली पर विचार करने की आवश्यकता है, जो हमें प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद केवल नौकरी चाहने वालों तक सीमित ही रखती है और हमें नौकरी प्रदाता नहीं बना सकती है। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक शिक्षा हमें गुलाम बनाने की ओर ले जाती है जबकि हमें इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अलग-अलग प्रयोग करने की आवश्यकता है, इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लाई गई है। उन्होंने कहा एनईपी शिक्षा की दिशा और लक्ष्य निर्धारित करेगी। यह हमसे और हमारी माटी से जुड़ी हुई है।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य नैतिक मूल्य को प्रदान करना है, जो उस माध्यम में महत्वपूर्ण हैं जिसके माध्यम से यह दिया जाता है। उन्होंने कहा कि घर में शिक्षा का वातावरण बनाना माता-पिता का कर्तव्य है। राज्यपाल ने कहा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान बनकर किसी भी पेशे में सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है और शिक्षा का लक्ष्य एक अच्छा इंसान बनाना होना चाहिए क्योंकि अन्य उपलब्धियां अपने आप जुड़ती रहती हैं। उन्होंने छात्रों से शिक्षा के क्षेत्र में इस दिशा में आगे बढ़ने का आहवान किया।

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी स्थापना के 75 वर्ष मना रहा है और राज्य सरकार इस संबंध में प्रगतिशील हिमाचल के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने प्रदेश में इन 75 वर्षों में हुए अभूतपूर्व विकास की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 1948 में केवल 4.8 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 90 प्रतिशत से अधिक हो गई है। सड़कों की कुल लंबाई 250 कि.मी. थी, जो अब बढ़कर 40 हजार कि.मी. हो गई है। उन्होंने कहा कि 1948 में केवल 350 राजकीय स्कूल थे, जो अब बढ़कर लगभग 16,000 हो गए हैं और प्रदेश में 146 राजकीय डिग्री महाविद्यालय है। यह सब प्रदेश के लोगों की कड़ी मेहनत और मजबूत नेतृत्व के परिणाम स्वरूप संभव हुआ है। उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और उपलब्धियों की भी जानकारी प्रदान की। उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानति करने के लिए आयोजित इस सम्मान समारोह के लिए दिव्य हिमाचल को बधाई दी।

इससे पहले, दिव्य हिमाचल के राज्य ब्यूरो प्रमुख राजेश मंढोत्रा ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए समारोह के संबंध में जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर विद्यापीठ शिमला के निदेशक डॉ. रमेश शर्मा ने भी अपने विचार प्रस्तुत किये।

विद्यापीठ के निदेशक रविन्द्र अवस्थी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
अंजना

# उतराला-होली सड़क निर्माण को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंजूरी:राकेश पठानिया

**शिमला/शैल।** कांगड़ा जिला में लम्बे समय से लंबित पड़े उतराला-होली सड़क के निर्माण को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय शिमला ने मंजूरी प्रदान कर दी है। वन, खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि इस सड़क के निर्माण से न केवल कांगड़ा और चम्बा जिला की दूरी कम होगी बल्कि आमजनमानस को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला क्षेत्र में एफआरए के तहत अनुमति प्राप्त होने के उपरांत 43 परियोजनाओं के लोक निर्माण विभाग ने टैंडर भी लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में वर्ष 2019 से अब तक 80 विकासात्मक परियोजनाओं को एफआरए की अनुमति मिल चुकी है। यह सभी परियोजनाएं एफसीए और एफआरए की क्लीयरेंस न मिलने की वजह से रूकी हुई थी।

वन मंत्री ने कहा कि धर्मशाला क्षेत्र में विभिन्न सम्पर्क सड़कों के निर्माण का कार्य अब तेज़ी से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है ताकि जिले में रूके हुए विकासात्मक कार्यो को गति प्रदान की जा सके।

# प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय दल गठित

**शिमला/शैल।** राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार, सुनील कुमार बर्नवाल की अध्यक्षता में केन्द्रीय दल का गठन किया है। प्रदेश सरकार ने 23 अगस्त, 2022 को केन्द्र सरकार से अन्तर मंत्रालय केन्द्रीय दल भेजने का आग्रह किया था।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में मानसून के दौरान ही केन्द्रीय दल के भेजने बारे निर्णय लिया गया है जबकि पूर्व में मानसून खत्म होने के बाद ही केन्द्रीय दल भेजा जाता था। इससे प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन समय पर होने के साथ ही प्रदेश को केन्द्रीय आपदा मोचन निधि की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी जिससे प्रदेश में मानसून प्रभावित लोगों को समुचित राहत सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान मानसून में भारी वर्षा, भूस्खलन और बादल फटने की अनेक घटनाएं हुई है, जिसमें 258 लोगों की अमूल्य जानें चली गई और 10 लोग अभी भी लापता हैं। इस आपदा के कारण 270 मवेशी मारे गए तथा 1658 रिहायशी मकान, दुकानों , गौशालाएं व घराट इत्यादि क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस दौरान प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गो, ग्रामीण सड़कों, पेयजल योजनाओं व विद्युत परियोजनाओं को भी भारी नुकसान हुआ है। इस मानसून के दौरान प्रदेश में अब तक 1367.33 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया जा चुका है और यह प्रक्रिया आकलन निरन्तर जारी है।

# हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के माध्यम से 1600 करोड़ रुपये का वित्त पोषण प्रदान करेगी केंद्र सरकार:मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के माध्यम से लगभग 1600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य की हिस्सेदारी के साथ कुल कार्यक्रम लागत लगभग 2000 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक से वित्त पोषण अगले वर्ष के आरम्भ तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक और बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। कार्यक्रम की अवधि वर्ष 2023 से 2028 तक पांच साल की होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण में सुधार लाना और राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करना है। राज्य के बिजली क्षेत्र के संसाधनों के नवीकरणीय उपयोग में सुधार, पारेषण और वितरण स्तर पर राज्य के ग्रिड की विश्वसनीयता में सुधार और राज्यों की ऊर्जा उपयोगिताओं/एजेंसियों की संस्थागत क्षमताओं को और अधिक मजबूत करना इस कार्यक्रम के मुख्य लक्षित क्षेत्र हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र की व्यापक योजना बनाने, मांग प्रतिक्रिया प्रबंधन को बढ़ावा देने, अक्षय ऊर्जा के अन्य स्रोतों के साथ वृहद एकीकरण के दृष्टिगत मौजूदा जलविद्युत परिसंपत्तियों की तकनीकी उपयोगिता में सुधार लाने और राज्य में पैदा होने वाली बिजली के व्यापार के लिए एक ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इससे नवीकरणीय संतुलन क्षमता के माध्यम से ऊर्जा के क्रय से राज्य के अर्जित राजस्व में बढ़ोतरी भी हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य एचपीपीसीएल और हिम ऊर्जा के माध्यम से लगभग 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करना है। ऊर्जा व्यापार को बेहतर करने के लिए राज्य की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है और इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के भीतर ऊर्जा नेटवर्क को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया जाएगा, जिसमें एचपीपीटीसीएल के माध्यम से पारेषण स्तर पर तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के माध्यम से 13 शहरों में वितरण के स्तर पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्टेट लोड डिस्पेच सेन्टर के स्तरोन्नयन से ऊर्जा आवश्यकताओं और आपूर्ति का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा और इन प्रयासों के माध्यम से राज्य में ऊर्जा हस्तांतरण में भी सुधार होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित इस कार्यक्रम के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में लागू पर्यावरण और सामाजिक प्रणालियों को सुदृढ़ करने और इन पहलुओं की बेहतर निगरानी एवं मूल्यांकन में सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अंतराल विश्लेषण के आधार पर मौजूदा मानदंडों, विनियमों और मौजूदा अध्ययनों पर आधारित विस्तृत पर्यावरण और सामाजिक आकलन पर आगामी कार्य करने पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विश्व बैंक वित्त पोषित इस कार्यक्रम के तहत जलविद्युत में किसी नए निवेश की परिकल्पना नहीं की गई है, लेकिन यह कार्यक्रम राज्य को ऊर्जा क्षेत्र की उपयोगिताओं के लिए एक समान पर्यावरण और सामाजिक नीति तथा प्रक्रिया विकसित करने में सहायता करेगा और राज्य में अक्षय ऊर्जा के सतत विकास के लिए उच्च मानदंड स्थापित करेगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी होगा।

उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक की टीम 23 और 24 अगस्त, 2022 को कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए शिमला प्रवास पर थी और टीम ने बिजली क्षेत्र की इकाईयों और ऊर्जा विभाग के विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ कई बैठकें कीं।

समापन बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने की और एचपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक अजय शर्मा, ऊर्जा निदेशक हरिकेश मीणा, एचपीएसईबीएल के प्रबंध निदेशक पंकज डढवाल, एचपीपीटीसीएल के प्रबंध निदेशक, हिमऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

विश्व बैंक की टीम ने प्रख्यात सलाहकारों और ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों के साथ इन बैठकों में व्यक्तिगत एवं वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

# राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में केन्द्र सरकार से चम्बा में कर्मचारी राज्य बीमा योजना सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह:बिक्रम सिंह

**शिमला/शैल।** श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ने केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश के तिरूपति में आयोजित सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों एवं श्रम सचिवों के दो दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में केन्द्र सरकार से जिला चम्बा में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला चम्बा में जल विद्युत परियोजनाओं में काफी संख्या में कामगार कार्यरत हैं। जिला चम्बा में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सुविधा न होने के कारण कामगारों को इस योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। उन्होंने केन्द्र सरकार से प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा के औषधालयों में एक्स-रे सुविधा उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने संसारपुर टैरेस, टाहलीवाल, मैहतपुर, गोंदपुर, बद्दी तथा बरोटीवाला क्षेत्रों में यह सुविधा प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने का आग्रह किया।

बिक्रम सिंह ने बद्दी स्थित 100 बिस्तर क्षमता के अस्पताल में मल्टी सुपर स्पेशयलिटी सुविधा उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया।

उन्होंने प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों व औषधालयों में हिम केयर योजना की सुविधा को भी शामिल करने तथा औद्योगिक क्षेत्र पांवटा साहिब में ई.एस.आई. अस्पताल खोलने का भी आग्रह किया।

इस अवसर पर बिक्रम सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें विभिन्न लाभ प्रदान करने के दृष्टिगत ई-श्रम पोर्टल विकसित किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य के लिए ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 20.87 लाख कामगारों को पंजीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से प्रदेश ने 19.13 लाख कामगारों के पंजीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया है।

इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा कामगारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के समान विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं एवं कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर कामगारों के पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में हिमाचल देश भर के अग्रणी राज्यों में शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार की मौजूदा अंशदान सीमा को दो हजार रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर तीन हजार रुपये किया गया है, ताकि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को अंशदान के लिए प्रोत्साहन मिले और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ हो सके। उन्होंने वर्तमान लाभार्थियों और नए लोगों को पेंशन देने के लिए प्रदेश में अटल पेंशन योजना को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाया गया है। वर्ष 2022-23 में इस पर लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में इस योजना के तहत एक लाख लोगों को पंजीकृत किया गया है।

# शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री से भेंट की

**शिमला/शैल।** शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट की।

इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने रेल मंत्री से हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति प्रदान करने के लिए विशेष सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने रेल मंत्री को अवगत करवाया कि शिमला शहर में कुछ महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के कार्य रेलवे की भूमि पर पूर्ण किए जाने हैं। इनमें प्रदेश विधानसभा के निकट 230 मीटर फ्लाईओवर की महत्वाकांक्षी परियोजना भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इस फ्लाईओवर के निर्माण से शिमला शहर में यातायात सुचारू बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी।

सुरेश भारद्वाज ने रेल मंत्री को बताया कि शिमला में यातायात व्यवस्था में और सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से शहर में 12 किलोमीटर से अधिक सड़कों को चौड़ा किया गया है। प्रदेश विधानसभा के निकट सड़क चौड़ीकरण की संभावना नहीं है। इसलिए वहां फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री के साथ उनकी पिछली बैठक के दौरान इस मामले पर विस्तृत चर्चा हुई थी।

इस मुद्दे पर त्वरित हस्तक्षेप के लिए रेल मंत्री की सराहना करते हुए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि रेलवे की टीम ने फ्लाईओवर के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण भी कर लिया है।

सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय रेल मंत्री को यह भी बताया कि टूटू में प्रस्तावित ओवर ब्रिज से संबंधित ड्राइंग अंबाला स्थित उत्तर रेलवे कार्यालय में जमा करवा दी गई है। जबकि, प्रदेश विधानसभा के निकट प्रस्तावित फ्लाईओवर की ड्राइंग शीघ्र जमा करवा दी जाएगी।

# दिल्ली और शिमला के बीच 6 सितंबर से फिर शुरू होगी हवाई उड़ाने:मुख्य सचिव

**शिमला/शैल।** मुख्य सचिव आर.डी. धीमान की अध्यक्षता में दिल्ली-शिमला-दिल्ली मार्ग पर फिर से हवाई उड़ानों का संचालन शुरू करने के लिए एलायंस एयर अथॉरिटी के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में उड़ानों का संचालन शुरू करने के दृष्टिगत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मुख्य सचिव ने कहा कि लगभग अढ़ाई साल के लंबे अन्तराल के बाद 6 सितंबर, 2022 से दिल्ली से शिमला के लिए उड़ानें दोबारा शुरू करने के लिए एलायंस एयर के फिक्स्ड विंग एयर क्राफ्ट एटीआर-42 (600) का उपयोग किया जाएगा और शिमला को राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों कुल्लू और धर्मशाला से भी जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि दिल्ली-शिमला-दिल्ली रूट पर सप्ताह में सात दिन और शिमला-कुल्लू-शिमला के बीच सप्ताह में चार बार और धर्मशाला-शिमला के बीच सप्ताह में तीन बार यह उड़ानें संचालित की जाएंगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार शिमला-धर्मशाला और शिमला-कुल्लू रूट पर 50 प्रतिशत सीटों को उचित रूप से अंडरराइट करेगी, जिसके लिए सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। पर्यटन विभाग इस संबंध में वित्त विभाग के साथ व्यापक चर्चा के बाद इसकी प्रक्रिया को अन्तिम रूप देगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि उड़ानों का संचालन शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और इस संबंध में पर्यटन विभाग और एलायंस एयर के बीच जल्द ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

एलायंस एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत सूद ने उड़ानों के संबंध में प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि एलायंस एयर ने एक नया एटीआर-42 (600) जहाज खरीदा है, जिसका प्रयोग इन उड़ानों के लिए किया जाएगा।

समय का ज्ञान न रखने वाले राजा का कर्म समय के द्वारा ही नष्ट हो जाता है।

......चाणक्य

## सम्पादकीय

# कर्ज लेकर मुफ्त कब तक बांटा जा सकता है

इस समय सड़क से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मुफ्ती की घोषणाएं एक बड़े मुद्दे के तौर पर हर संवेदनशील नागरिक का ध्यान आकर्षित किये हुए हैं। अश्वनी उपाध्याय की याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे इस मामले को अब तीन जजों की पीठ को सौंप दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर केंद्र सरकार, राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग और कुछ वरिष्ठ वकीलों से उनकी राय जानने का प्रयास किया है। अब तक जो कुछ भी चर्चित हुआ है वह मुफ्ती की परिभाषा चुनाव आयोग के दखल और सर्वोच्च न्यायालय के दखल की सीमा के इर्द-गिर्द ही घूमता रहा है। इस सवाल की ओर कोई ध्यान ही नहीं गया है कि राजनीतिक दलों को मुफ्ती की घोषणाएं करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? इन योजनाओं के लाभार्थियों के जीवन स्तर में कितना सुधार हो पाया है? इनका लाभ लेने के बाद उनकी क्रय शक्ति में कितना सुधार हुआ है? यहां कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर व्यवहारिकता में विचार किये बिना मुफ्ती को लेकर ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसमें पंचायत सदस्य से लेकर संसद तक कुछ न कुछ मानदेय ले रहा है और यह सब जन सेवक कहलाते हैं। जनता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। इस जनसेवा के बदले जो कुछ उन्हें मिल रहा है और उस पर जनता की प्रतिक्रियाएं क्या हैं यह सब उन याचिकाओं के माध्यम से सामने आ चुका है जिनमें इनकी पैन्शन बन्द किये जाने की मांग की गयी है। जबकि सरकारों की वित्तीय स्थिति यह है कि केंद्र से लेकर राज्य तक हर प्रदेश कर्ज के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीएम के अनुसार कर्ज जीडीपी के 3% से 5% तक की सीमा में ही रहना चाहिये। लेकिन कई राज्य सौ प्रतिशत की सीमा पार कर चुके हैं। आर बी आई 13 प्रदेशों को तो कभी भी श्रीलंका होने की चेतावनी दे चुका है। हिमाचल का कर्ज जीडीपी का 38% से बढ़ चुका है और यह जानकारी मानसून सत्र में आयी है। जब राज्य या केंद्र कर्ज लेकर मुफ्त बांटे और फिर भी लाभार्थी की परचेज पॉवर में सुधार न हो तो ऐसी मुफ्ती का लाभ और अर्थ क्या रह जाता है। अदालत इस पर रोक लगा नहीं सकती क्योंकि यह जनप्रतिनिधित्व कानून में दखल हो जाता है। राजनीतिक दलों के अधिकारों का मामला हो जाता है। चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से भी बाहर का मामला है। केवल जनता के समर्थन का मामला रह जाता है और जनता जिस महंगाई और बेरोजगारी के दौर से गुजर रही है उसमें उससे कोई उम्मीद रखना संभव नहीं हो सकता। इस परिदृश्य में केवल चुनाव प्रक्रिया में सुधार का ही एक मात्र विकल्प रह जाता है जिसके माध्यम से इस पर रोक लगाई जा सकती है। यहां यह विचारणीय हो जाता है कि राजनीतिक दलों को परोक्ष/अपरोक्ष मुफ्ती की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। क्या मुफ्ती के भार से दलों की विश्वसनीयता बनेगी? मुफ्ती के आईने में उम्मीदवारों का सारा चरित्र छिपा रह जाता है। इसी के कारण आज विधानसभा से लेकर संसद तक में करोड़पति और अपराधिक पृष्ठभूमि वाले माननीय की संख्या हर चुनाव में बढ़ती जा रही है। हर बार चुनाव खर्च का दायरा बढ़ा दिया जाता है। लेकिन राजनीतिक दलों को चुनाव खर्च सीमा से बाहर रखा गया है और यही सारी समस्या का मूल है। जब चुनाव महंगा होगा तो यह सिर्फ अमीर का ही अधिकार क्षेत्र होकर रह जायेगा। एक समय अपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चुनाव प्रचारक हुआ करते थे जो आज स्वयं माननीय हो गये हैं। ऐसे में मुफ्ती और कर्ज से बचने के लिये चुनाव को खर्च से रहित करना होगा। सरकार को चुनाव खर्च उठाना होगा। चुनाव प्रचार के वर्तमान स्वरूप को बदलना होगा। यदि ऐसा न हुआ तो आने वाले समय में चुनाव लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कुछ अमीर आपस में ही फैसला कर लेंगे। चुनाव सुधार करके चुनावों को खर्च मुक्त करना होगा क्योंकि कर्ज लेकर मुफ्त बांटना ज्यादा देर तक नहीं चल सकता है और अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ पहुंचा है तो हर नागरिक को इस बहस में हिस्सा लेना आवश्यक हो जाता है।

# कामगारों के लिए वरदान साबित हो रही भवन एवं अन्य सन्निर्माण की कल्याणकारी योजनाएं

**राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा कामगारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 1 जनवरी, 2018 से अब तक लगभग 3 27 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।**

**वर्तमान में बोर्ड में 4,02,910 कामगार पंजीकृत हैं जिनमें मनरेगा के तहत 1,71,783 तथा 2,31,147 अन्य कामगार हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 2,74,112 कामगारों का पंजीकरण किया गया है।**

राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं ने प्रदेश में लाखों कामगारों की जिन्दगी में सकारात्मक बदलाव लाया है। बोर्ड द्वारा कामगारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, आवास सुविधा सहित अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। कामगारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 1 जनवरी, 2018 से अब तक लगभग 327 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

वर्तमान में बोर्ड में 4,02,910 कामगार पंजीकृत हैं जिनमें मनरेगा के तहत 1,71,783 तथा 2,31,147 अन्य कामगार हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 2,74,112 कामगारों का पंजीकरण किया गया है। कामगारों को पंजीकरण के लिए प्रेरित करने के दृष्टिगत विभिन्न माध्यमों से निरंतर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण करवाने के लिए कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। पंजीकरण के लिए आवेदक को सम्बन्धित श्रम अधिकारी के कार्यालय में पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिनों तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यो में काम करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। कामगारों की सुविधा के लिए बोर्ड द्वारा अपनी वैबसाइट bocw.hp.nic.in पर भी ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा कामगारों के कल्याण के लिए बोर्ड के माध्यम से अनेक नवीन योजनाएं भी आरम्भ की गई हैं। कामगारों को उनके दो बच्चों की कक्षा एक से पी.एच.डी. तक पढ़ाई के लिए प्रतिवर्ष 8400 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। बेटी जन्म उपहार योजना के तहत दो बेटियों के जन्म पर 51-51 हजार रुपये की धन राशि एफडीआर के रूप में प्रदान की जाती है। दिव्यांग बच्चों के लिए आरम्भ की गई योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थी के बच्चों की देखभाल के लिए प्रत्येक वर्ष 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

विधवा पेंशन योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थी की विधवा को हर माह 1500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। पंजीकृत लाभार्थी के बच्चों को होस्टल सुविधा योजना के तहत होस्टल में रहने पर प्रत्येक वर्ष 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

सोलन जिला के डुगरी गांव से सम्बन्ध रखने वाले कामगार गोपाल सिंह की बेटी ने दसवीं और बाहरवीं कक्षा की परीक्षा में अव्वल स्थान हासिल किया। वह बी.ए.एल.एल.बी की उपाधि प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन धन की कमी यह लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा थी। ऐसे में बोर्ड की शिक्षा सहायता योजना, गोपाल सिंह की बेटी की सबसे बड़ी मददगार बनी। उनकी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगर कल्याण बोर्ड ने 1,20,000 रुपये की सहायता प्रदान की।

सोलन जिला के ही परथा खुर्द के निवासी सरफराज की गंभीर बीमारी से पीड़ित बेटी के ईलाज के लिए बोर्ड ने 1,00,000 रुपये की चिकित्सा सहायता प्रदान की। बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस तरह लाखों कामगारों को वित्तीय सहायता एवं अनेक लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।

कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा शादी के लिए सहायता योजना के तहत 51,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। पिछले साढ़े चार वर्षो के दौरान इस योजना के तहत 19,037 लाभार्थियों को लगभग 77 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। शिक्षा के लिए सहायता योजना के अन्तर्गत इस अवधि के दौरान 97,256 लाभार्थियों को लगभग 120 करोड़ रुपये सहायता राशि के रूप में प्रदान किए गए हैं।

चिकित्सा सहायता योजना के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा 2,758 लाभार्थियों को लगभग 34 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा बोर्ड द्वारा विभिन्न विपरीत परिस्थितियों के दौरान भी पंजीकृत कामगारों को सहायता प्रदान की जाती है। कोविड महामारी के दौरान बोर्ड द्वारा 1,36,613 कामगारों को 2,000 रुपये की दर से तीन किश्तों में कुल 78.59 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई।

प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत कामगारों के कल्याण के लिए आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभान्वित करने के लिए जागरूकता माध्यमों पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाएं कामगारों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। इससे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

# पीएमजेडीवाई–वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन ने अपने सफल कार्यान्वयन के आठ साल पूरे किए

**शिमला।** वित्तीय समावेशन की अपनी पहलों के जरिए, वित्त मंत्रालय हाशिए पर रहने वाले और अब तक सामाजिक-आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों का वित्तीय समावेशन करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय समावेशन (एफआई) के माध्यम से हम देश में एक समान और समावेशी विकास को हासिल कर सकते हैं। वित्तीय समावेशन का मतलब है- कमजोर समूहों जैसे निम्न आय वर्ग और गरीब वर्ग, जिनकी सबसे बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है, उन्हें समय पर किफायती दर पर उचित वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गरीबों की बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने का अवसर प्रदान करता है, गांवों में अपने परिवारों को पैसे भेजने के अलावा उन्हें सूदखोर साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने का मौका देता है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) इस प्रतिबद्धता की दिशा में एक अहम पहल है, जो वित्तीय समावेशन से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जन-धान योजना (पीएमजेडीवाई) की घोषणा की थी। 28 अगस्त को इस योजना की शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस मौके को गरीबों की एक दुष्चक्र से मुक्ति का उत्सव कहा था।

पीएमजेडीवाई की 8वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि वित्तीय समावेशन समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है जो समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के समग्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है। 28 अगस्त 2014 से पीएमजेडीवाई की सफलता 46 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुलने और उसमें 1.74 लाख करोड़ जमा होने से स्पष्ट पता चलती है। इसका विस्तार 67 फीसदी ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक हो चुका है और 56 फीसदी जनधन खाताधारक महिलाएं हैं। 2018 से आगे पीएमजेडीवाई के जारी रहने से देश में वित्तीय समावेशन परिदृश्य की उभरती चुनौतियों और आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय बदलाव आया। उन्होंने कहा कि इन खातों के जरिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रवाह को बढ़ाकर इनके इस्तेमाल पर अतिरिक्त जोर देने के साथ ही, रुपे कार्ड आदि के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देकर 'हर घर' से अब 'हर वयस्क' पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा, ''पीएमजेडीवाई के बुनियादी उद्देश्यों जैसे, बैंकिंग सेवा से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना, असुरक्षित को सुरक्षित बनाना और गैर-वित्तपोषित लोगों का वित्त पोषण करने जैसे कदमों ने वित्तीय सेवाओं से वंचित और अपेक्षाकृत कम वित्तीय सेवा हासिल करने वाले इलाकों को सुविधा प्रदान की है। साथ ही प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए बहु-हितधारकों के सहयोगात्मक दृष्टिकोण को अपनाना संभव बनाया है।''

वित्त मंत्री ने अपने संदेश में कहा कि खाताधारकों की सहमति से बैंक खातों को आधार और मोबाइल नंबरों से जोड़कर बनाई गई जेएएम पाइपलाइन ने (जो एफआई पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है) सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को तत्काल डीबीटी के लिए सक्षम बनाया है। 'एफआई पारिस्थितिकी तंत्र के तहत बनी इस व्यवस्था का लाभ कोविड-19 महामारी के समय देखने को मिला, जब इसने पीएम-किसान के तहत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता की सुविधा प्रदान की और पीएमजीकेपी के तहत महिला पीएमजेडीवाई खाताधारकों को निर्बाध और समयबद्ध तरीके से अनुग्रह राशि का हस्तांतरण संभव हुआ।

सीतारमन ने अपने संदेश के आखिर में कहा, ''वित्तीय समावेशन के लिए उपयुक्त वित्तीय उत्पादों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों और डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी संरचना के आधार पर नीतिगत पहलों की आवश्यकता होती है। लोगों के लिए योजना का लक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए देश ने पीएमजेडीवाई की शुरुआत से ही इस रणनीति को अपनाया है। मैं सभी क्षेत्रीय कर्मचारियों/पदाधिकारियों को पीएमजेडीवाई को सफल बनाने में उनके अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद देती हूं।''

इस अवसर पर पीएमजेडीवाई के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने कहा ''प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर में वित्तीय समावेशन की दिशा में सबसे दूरगामी पहलों में से एक रही है। वित्तीय समावेशन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है क्योंकि यह समावेशी विकास के लिए मददगार है। यह कदम गरीबों को अपनी बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने का एक अवसर देता है। यह उन्हें सूदखोर साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने के अलावा अपने परिवारों को धन भेजने का एक विकल्प भी प्रदान करता है।''

डॉ. कराड ने कहा, ''पीएमजेडीवाई की आठवीं वर्षगांठ के अवसर पर, हम इस योजना के महत्व को दोहराते हैं। पीएमजेडीवाई सरकार की जन-केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला बन गई है। चाहे वह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का कार्य हो या फिर कोविड-19 संबंधी वित्तीय सहायता, पीएम-किसान, मनरेगा के तहत बढ़ी हुई मजदूरी, जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा कवर का मामला हो, जिनके लिए पहले कदम के रूप में प्रत्येक वयस्क को एक बैंक खाता प्रदान करना आवश्यक है, पीएमजेडीवाई ने इस काम को लगभग पूरा कर लिया है।''

डॉ. कराड ने कहा, ''मुझे विश्वास है कि बैंक समय की मांग के अनुरूप आगे बढ़ेंगे और इस राष्ट्रीय प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और प्रत्येक वयस्क को सरकार की वित्तीय समावेशन पहल के तहत शामिल करना सुनिश्चित करेंगे।''

इस योजना के सफल क्रियान्वयन के 8 साल पूरे होने पर आइए अब तक के प्रमुख पहलुओं और उपलब्धियों पर नजर डालते हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय सेवाओं यानी बैंकिंग/बचत और जमा खाते, भेजी गई रकम, जमा, बीमा, पेंशन तक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में वित्तीय समावेशन का एक राष्ट्रीय मिशन है।

**1. उद्देश्य:**

➪ सस्ती कीमत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।

➪ लागत कम करने और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग।

**2. इस योजना के मूल सिद्धांत**

➪ बैंकिंग सेवा से वंचित लोगों को जोड़ना-कम से कम कागजी कार्रवाई, केवाईसी में छूट, ई-केवाईसी, कैंप मोड में खाता खोलने, शून्य शेष और शून्य शुल्क के प्रावधान के साथ बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोलना।

➪ असुरक्षित को सुरक्षित बनाना- दो लाख रुपये के मुफ्त दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ नकद निकासी और मर्चेंट लोकेशन (दुकानों आदि) पर भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना।

➪ गैर-वित्तपोषित लोगों का वित्त पोषण-सूक्ष्म-बीमा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा, माइक्रो-पेंशन एवं माइक्रो-क्रेडिट जैसे अन्य वित्तीय उत्पाद।

**3. प्रारंभिक विशेषताएं**

यह योजना निम्नलिखित छह स्तंभों पर शुरू की गई थी:

➪ बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच- शाखा और बीसी।

➪ प्रत्येक पात्र वयस्क को 10,000/-रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बचत बैंक खाता।

➪ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम- बचत को बढ़ावा, एटीएम का इस्तेमाल, क्रेडिट के लिए तैयार होने, बीमा एवं पेंशन का लाभ उठाने, बैंकिंग से जुड़े कार्यों के लिए बेसिक मोबाइल फोन के उपयोग को बढ़ावा देना।

➪ क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण- बकाया मामले में बैंकों को कुछ गारंटी प्रदान करने के लिए।

➪ बीमा-15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 के बीच खोले गए खातों पर 1,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा।

➪ असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना।

**4. अतीत के अनुभव के आधार पर पीएमजेडीवाई में अपनाए गए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण:**

➪ ऑफलाइन खाता खोलने की पहले की पद्धति की जगह, खोले गए नए खाते बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली में ऑनलाइन खाते हैं।

➪ रुपे डेबिट कार्ड या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के जरिए अंतर-संचालन।

➪ फिक्स्ड-प्वाइंट बिजनस करेस्पोंडेंट।

➪ केवाईसी से जुड़ी जटिल औपचारिकताओं के स्थान पर सरलीकृत केवाईसी/ई-केवाईसी।

**5. नई सुविधाओं के साथ पीएमजेडीवाई का विस्तार–**

सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ व्यापक पीएमजेडीवाई कार्यक्रम को 28 अगस्त 2018 से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।

➪ 'हर परिवार' से हटकर अब 'बैंकिंग सेवा से वंचित हर वयस्क' पर ध्यान।

➪ रुपे कार्ड बीमा-28.8.2018 के बाद खोले गए पीएमजेडीवाई खातों के लिए रुपे कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है।

➪ ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में वृद्धि-

➪ ओवरड्राफ्ट की सीमा को 5,000/- रुपये से दोगुनी करते हुए 10,000/-रुपये की गई। 2,000/-रुपये तक का ओवरड्राफ्ट बिना शर्तों के मिलेगा।

➪ ओवरड्राफ्ट के लिए अधिकतम आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया गया।

**6. पीएमजेडीवाई का प्रभाव**

पीएमजेडीवाई जन-केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला रही है। चाहे वह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हो, कोविड-19 वित्तीय सहायता, पीएम-किसान, मनरेगा के तहत बढ़ी हुई मजदूरी, जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा कवर हो, इन सभी पहलों का पहला कदम प्रत्येक वयस्क को एक बैंक खाता प्रदान करना है, जिसे पीएमजेडीवाई ने लगभग पूरा कर लिया है।

मार्च 2014 से मार्च 2020 के बीच खोले गए दो में से एक खाता पीएमजेडीवाई खाता था। देशव्यापी लॉकडाउन के 10 दिनों के भीतर लगभग 20 करोड़ से अधिक महिला पीएमजेडीवाई खातों में अनुग्रह राशि जमा की गई।

जनधन गरीबों को अपनी बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने का एक रास्ता प्रदान करता है और उन्हें गांवों में अपने परिवारों को पैसे भेजने के अलावा सूदखोर साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने का एक अवसर प्रदान करता है। पीएमजेडीवाई ने बैंकिंग प्रणाली से वंचित रहे लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है, भारत के वित्तीय ढांचे का विस्तार किया है और लगभग हर वयस्क के लिए वित्तीय समावेशन को संभव बनाया है।

आज के कोविड-19 के काल में, हमने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को तेजी और सहजता के साथ समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाते और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते देखा है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रधानमंत्री जन-धन खातों के जरिए डीबीटी ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक रुपया अपने लक्षित लाभार्थी तक पहुंचे और प्रणाली में रिसाव (लीकेज) को रोका जा सके।

**7.पीएमजेडीवाई के तहत उपलब्धियां–**

**क) पीएमजेडीवाई खाते**

➪ 10 अगस्त 2022 तक पीएमजेडीवाई खातों की कुल संख्या: 46.25 करोड़( 55.59 फीसदी) 25.71 करोड़ जन-धन खाताधारक महिलाएं हैं और 66.79 फीसदी (30.89 करोड़) जन धन खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।

➪ इस योजना के पहले वर्ष के दौरान 17.90 करोड़ पीएमजेडीवाई खाते खोले गए।

➪ पीएमजेडीवाई के तहत खातों की संख्या में लगातार वृद्धि।

➪ पीएमजेडीवाई खातों की संख्या मार्च 2015 में 14.72 करोड़ से तीन गुना बढ़कर 10-08-2022 तक 46.25 करोड़ हो गई है। बेशक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की दिशा में यह एक उल्लेखनीय यात्रा है।

**ख) चालू पीएमजेडीवाई खाते–**

➪ आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि किसी पीएमजेडीवाई खाते में दो साल की अवधि में कोई ग्राहक लेनदेन नहीं करता है तो उस खाते को निष्क्रिय माना जाता है।

➪ अगस्त 2022 में कुल 46.25 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों में से 37.57 करोड़ खाते (81.2%) चालू हैं।

➪ केवल 8.2% पीएमजेडीवाई खाते शून्य शेष वाले खाते हैं।

**ग) पीएमजेडीवाई खातों में जमा–**

➪ पीएमजेडीवाई खातों में कुल जमा शेष राशि 1,73,954 करोड़ रुपये।

➪ इन खातों में 2.58 गुना वृद्धि के साथ इनमें जमा होने वाली धनराशि में लगभग 7.60 गुना वृद्धि हुई है (अगस्त 2022/अगस्त 2015)

**घ) पीएमजेडीवाई खाते में औसत जमा राशि –**

➪ औसतन हर खाते में जमा राशि 3,761 रुपये है।

➪ अगस्त 2015 की तुलना में हर खाते में औसत जमा राशि में 2.9 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है।

➪ औसत जमा राशि में बढ़ोतरी खातों के बढ़ते उपयोग और खाताधारकों में बचत की आदत का एक और संकेत है।

**ड़) पीएमजेडीवाई खाताधारकों को जारी किए गए रुपे कार्ड**

➪ पीएमजेडीवाई खाताधारकों को जारी किए गए रुपे कार्ड की कुल संख्या: 31.94 करोड़।

➪ समय के साथ रुपे कार्डों की संख्या और उनके उपयोग में बढ़ोतरी हुई है।

**8. जन-धन दर्शक ऐप**

देश में बैंक शाखाओं, एटीएम, बैंक मित्रों, डाकघरों आदि जैसे बैंकिंग टच प्वाइंट्स का पता लगाने को एक नागरिक केंद्रित प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया गया। इस जीआईएस एप पर आठ लाख से अधिक बैंकिंग टच प्वाइंट्स की मैपिंग की गई है। जन धन दर्शक एप की सुविधाओं का लाभ आम आदमी अपनी जरूरत और सहूलियत के अनुसार उठा सकते हैं। इस एप्लिकेशन के वेब संस्करण का उपयोग http://findmybank.gov.in लिंक पर किया जा सकता है।

इस ऐप का उपयोग उन गांवों की पहचान करने के लिए भी किया जा रहा है, जहां 5 किमी के भीतर बैंकिंग टच प्वाइंट्स सेवा नहीं है। इन चिन्हित गांवों को संबंधित एसएलबीसी द्वारा बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए विभिन्न बैंकों को आवंटित किया जाता है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बैंकिंग सेवा से वंचित रहने वाले गांवों की संख्या में काफी कमी आई है।

**9. डीबीटी लेनदेन में सुगमता सुनिश्चित करने की दिशा में**

बैंकों द्वारा सूचित किया गया है कि करीब 5.4 करोड़ पीएमजेडीवाई खाताधारक विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्राप्त करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र लाभार्थियों को उनका डीबीटी समय पर प्राप्त हो, विभाग डीबीटी मिशन, एनपीसीआई, बैंकों और कई अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श कर डीबीटी की राह में आनेवाली अड़चनों के टाले जा सकने वाले कारणों की पहचान करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। बैंकों और एनपीसीआई के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस संबंध में सटीक निगरानी से डीबीटी से संबंधित कुल समस्याओं में टाले जा सकने वाले कारणों से आने वाली अड़चनों का हिस्सा 13.5% (वित्त वर्ष 2019-20) से घटकर 9.7% (वित्त वर्ष 2021-22) रह गया है।

**10. डिजिटल लेनदेन:**

पीएमजेडीवाई के तहत 31.94 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी करने के साथ ही, जून 2022 तक 61.69 लाख पीओएस/एमपीओएस मशीनें लगाई गई और यूपीआई जैसी मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली की शुरुआत के साथ, डिजिटल लेनदेन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2016-17 में 978 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 7,195 करोड़ हो गई है। यूपीआई वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2016-17 में 1.79 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 4,596 करोड़ हो गई है। इसी प्रकार, पीओएस और ई-कॉमर्स में रुपे कार्ड लेनदेन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2016-17 में 28.28 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 151.64 करोड़ हो गई है।

**11. आगे की राह**

1– सूक्ष्म बीमा योजनाओं के तहत पीएमजेडीवाई खाताधारकों का कवरेज सुनिश्चित करने का प्रयास। पात्र पीएमजेडीवाई खाताधारकों को पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत कवर किया जाएगा। इस बारे में बैंकों को पहले ही सूचित कर दिया गया है।

2. देशभर में संबंधित बुनियादी ढांचा तैयार कर पीएमजेडीवाई खाताधारकों के बीच रुपे डेबिट कार्ड के उपयोग सहित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना।

3. फ्लेक्सी-आवर्ती जमा आदि जैसे माइक्रो निवेश और माइक्रो-क्रेडिट तक पीएमजेडीवाई खाताधारकों की पहुंच को बेहतर बनाना।

# मुख्यमंत्री अपने निर्णय लागू करने में असहाय और बेबस :प्रतिभा सिंह

**शिमला/शैल।** प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया है कि वह कर्मचारियों के साथ वोट की राजनीति कर उनके साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने आजादी के पर्व 15 अगस्त को कर्मचारियों को उनके देय भत्ते का एरियर देने की जो घोषणा की थी, उसे वह अभी तक नही दे पाए है। इससे साफ है कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों के साथ राजनीति कर उन्हें गुमराह कर रहें है जो बहुत ही दुखदाई है। कर्मचारियों को उनका हक तुरंत जारी किया जाना चाहिए।

प्रतिभा सिंह ने एक बयान में प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने निर्णय लागू करने में असहाय और बेबस नजर आते है। उन्होंने कहा कि हॉल ही में लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व तीन सदस्यों की नियुक्ति और अंतिम समय पर पूरी तैयारियों के बाद इसके शपथ समारोह को टालना जयराम सरकार की कमजोर कार्य प्रणाली को दर्शाता है। उन्होंने सरकार से इन नियुक्तियों व इस शपथ समारोह को टाले जाने के कारणों की पूरी जानकारी प्रदेश की जनता को देने को कहा है

प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी हार को सामने देख कर बोखलाहट में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से जहां एक ओर भारी जानमाल का नुकसान हो रहा है, परिवार दर्दनाक हादसों में अपनी जान गवां रहें है तो दूसरी ओर भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री सहित अपनी चुनावी सभाओं में मस्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार भारी बारिश ने जो कहर ढाया है वह बहुत ही दुखदाई है।

प्रतिभा सिंह ने सेब बागवनो की दशा पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश में पांच हजार करोड़ की सेब आर्थिकी बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रही है। सेब बागवानो के प्रति सरकार की उपेक्षा ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी है। उन्होंने कहा कि सड़कों विशेषकर सम्पर्क सड़कें बंद होने से बागवानो को अपनी फसल की चिन्ता सता रही है। फसलों को मंडी तक पहुंचाने में उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है । सरकार व प्रशासन की ओर से उन्हें कोई भी मदद नही मिल रही है जो बहुत ही चिंता की बात है।

प्रतिभा सिंह ने सरकार से मांग की है कि वह बागवानों के हितों की रक्षा करें, जिससे प्रदेश में बागवानों की आर्थिकी में कोई विपरीत असर न पड़े।

# प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को एफपीसी का पंजीकरण पारस्परिक रूप से लाभकारी:राकेश कंवर

**शिमला/शैल।** हिमाचल की पहली 100 प्रतिशत प्राकृतिक किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) की सेब की पहली खेप को दिल्ली में खरीदारों के लिए और डॉ यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हिमाचल प्रदेश के कृषि सचिव राकेश कंवर ने चौपाल नेचुरल्स एफपीसी के दो वाहनों की खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एफपीसी के सदस्य के साथ-साथ नौणी विवि के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल और प्राकृतिक कृषि खुशहाल किसान योजना के राज्य परियोजना निदेशक नरेश ठाकुर इस मौके पर उपस्थित रहे। 225 बक्से दिल्ली में खरीदारों को भेजे गए, जबकि 150 क्रेट नौणी विश्वविद्यालय में मूल्यवर्धन के लिए भेजी गयी। सामूहिक विपणन की दिशा में एफपीसी का यह एक कदम है।

CHOPAL NATURALS FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED
FLAG OFF CEREMONY
First Produce of Natural Farming of
Chopal Natural Farmer Producer Company, Nerwa (HP)
25th August, 2022
Organised by:
Dr. YS Parmar University of Horticulture & Forestry, Nauni (HP)

किसानों के साथ एक संवाद सत्र के दौरान कृषि सचिव ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के एफपीसी का पंजीकरण पारस्परिक रूप से लाभकारी उत्पादक-उपभोक्ता संबंध स्थापित करने की दिशा में एक कदम है। हालांकि, किसानों के सामने पेशेवर दृष्टिकोण के साथ एफपीसी चलाने के लिए अब एक कठिन काम है। उन्होंने कहा कि सरकार शुरू में उनका समर्थन कर सकती है, लेकिन अंततः किसानों को सरकार पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी और सफल बिजनेस मॉडल बनाने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में नाबार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो प्रारंभिक वर्षों के दौरान एफपीसी को कुछ सहायता प्रदान करने में मदद करेगा।

नरेश ठाकुर ने प्राकृतिक उत्पादों के विपणन के लिए एक मंच पर एक साथ आने के लिए किसानों को बधाई दी और कहा कि ऐसे 10 एफपीसी घटित करने का लक्ष्य है। उन्होंने एफपीसी को आश्वासन दिया कि राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई शुरू में उन्हें लॉजिस्टिक्स और तकनीकी जानकारी के साथ समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को सफल व्यवसायी में बदलने की दिशा में एक यह कदम है। उन्होंने कहा कि यदि किसान निजी भूमि उपलब्ध करवा सकते हैं तो प्राकृतिक उपज के संग्रह केंद्रों पर काम किया जा सकता है।

इस अवसर पर प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि विश्वविद्यालय किसानों के नेतृत्व वाले उत्पादक संगठनों को सभी तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय का खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग चौपाल नेचुरल्स एफपीसी द्वारा लाए गए निम्न-श्रेणी के सेब का जूस और अन्य मूल्य वर्धित उत्पादों बनाने में मदद कर रहा है। प्रोफेसर चंदेल ने कहा कि विश्वविद्यालय एफपीसी के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पहले से विकसित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सेब और अन्य फलों से उत्पादों की एक श्रृंखला विकसित करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने सोलन और पच्छाद के नव स्थापित एफपीसी को उनके उद्यम को सफल बनाने के लिए सभी तकनीकी मार्गदर्शन का भी आश्वासन दिया।

इससे पहले, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. देविना वैद्य ने विभिन्न तकनीकों के बारे में बात की, जिनका उपयोग एफपीसी की विविध उत्पाद रेंज बनाने के लिए किया जा सकता है। चौपाल नेचुरल्स एफपीसी के अध्यक्ष विनोद मेहता ने कहा कि कंपनी विभिन्न क्षेत्रों के प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों को अपना सदस्य बनाने और सेब के साथ-साथ विभिन्न फलों और सब्जियों में जाने का लक्ष्य रखेगी ताकि खरीदारों को पूरे वर्ष प्राकृतिक उत्पाद उपलब्ध करवाया जा सके। इस अवसर पर प्रसंस्कृत सेब के रस का भी अनावरण किया गया। एफपीसी ने सितंबर में जैम और जूस बाजार में उतारने का लक्ष्य रखा है।

इस मौके पर डॉ. संजीव चौहान, निदेशक अनुसंधान, डॉ. दिवेंद्र गुप्ता, निदेशक विस्तार शिक्षा, डॉ मनीष शर्मा, डीन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, डॉ. सीएल ठाकुर, डीन फॉरेस्ट्री, सोलन और पच्छाद की नव स्थापित प्राकृतिक खेती एफ़पीसी के सदस्य, विभिन्न जिलों के आत्मा के परियोजना निदेशक और उप परियोजना निदेशक, एसपीआईयू टीम और एफपीसी के सदस्य इस अवसर पर उपस्थित रहे। किसानों ने विश्वविद्यालय के प्रसंस्करण संयंत्र का भी दौरा किया जहां जूस का प्रसंस्करण किया जा रहा है।

# लम्पी चर्म रोग से बचाव के दृष्टिगत 50 हजार पशुओं का टीकाकरण पूर्ण:वीरेन्द्र कंवर

**शिमला/शैल।** ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि पशुधन में लम्पी चर्म रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक लगभग 50 हजार पशुओं का टीकाकरण पूर्ण कर लिया गया है।

पशुपालन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस रोग की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रोग को नियंत्रित करने के लिए कन्टेनमेंट जोन स्थापित किए गए हैं और रोग से ग्रसित पशुधन को अलग कर इस रोग को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रचुर मात्रा में दवाएं इत्यादि उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के पास वर्तमान में टीके की 1,19,591 खुराकें उपलब्ध हैं और आवश्यकता पड़ने पर खुले बाजार से भी दवा अथवा टीका खरीदने के निर्देश दिए गए हैं।

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में अभी तक लम्पी चर्म रोग से ग्रसित 5,630 पशु स्वस्थ हो चुके हैं और गत दिवस तक राज्य में 18,256 सक्रिय मामले थे। उन्होंने कहा कि अभी तक इस रोग से ग्रसित 513 पशुधन की क्षति की सूचना है। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग इस रोग की रोकथाम के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। पशुपालन मंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्य से इस रोग का पहला मामला सामने आने के उपरान्त प्रदेश सरकार ने तत्काल इससे बचाव के सम्बन्ध में आवश्यक परामर्श एवं दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे। विभागीय अधिकारियों को निरन्तर निगरानी करने और दैनिक आधार पर इसकी रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पशुपालकों से आग्रह किया है कि वे इस रोग की रोकथाम में विभाग को सहयोग करें और किसी भी प्रकार की शंका इत्यादि के निवारण के लिए नजदीकी पशु चिकित्सा केन्द्र में सम्पर्क कर सकते हैं।

# एसजेवीएन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित ग्रीनटेक अवार्ड हासिल किया

**शिमला/शैल।** एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नन्द लाल शर्मा ने बताया कि कंपनी को पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ग्रीनटेक अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड एसजेवीएन द्वारा अपनी पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किया जाता है जिनका समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो।

नन्द लाल शर्मा ने कहा कि एसजेवीएन के पास जलविद्युत, सौर और पवन परियोजनाओं का एक सशक्त

निर्माणाधीन परियोजनाओं, विशेष रूप से उत्तराखंड में 60 मेगावाट की नैटवाड़ मोरी जलविद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश में 210 मेगावाट लूहरी चरण-I जलविद्युत परियोजना और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना में अपनाए गए पर्यावरण संरक्षण उपायों के लिए प्रदान किया गया है।

नन्द लाल शर्मा ने कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार के अवार्डबिजनेस उत्कृष्टता और सततशीलताके मूल्यों में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते है तथा एसजेवीएन के अनुकरणीय संचालन और प्रणालियों को मान्यीकृत करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने वाले संगठनों को यह प्रतिष्ठित ग्रीनटेक अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। विशिष्ट पेशेवरों, न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित हस्तियों से युक्त पैनल द्वारा अवार्ड के लिए नामांकित संगठनों का मूल्यांकन उनके द्वारा अपनाई गई नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो है और 2016.5 मेगावाट का उत्पादन पोर्टफोलियो पूरी तरह से ग्रीन ऊर्जा पर आधारित है। एसजेवीएन ने पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के लिए सभी लागू पर्यावरणीय कानूनों और मानदंडों का निरंतर अनुपालन किया जा रहा है। 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन और 412 मेगावाट रामपुर जलविद्युत स्टेशन पर उल्लेखनीय पर्यावरण प्रबंधन उपाय किए गए जिन्हें राष्ट्रीय स्तर और विश्व बैंक द्वारा मान्यीकृत किया गया है।

एसजेवीएन की ओर से, श्री वी. शंकरनारायणन, कार्यकारी निदेशक ने अवार्ड प्राप्त किया। वर्ष 2000 में स्थापित ग्रीनटेक फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी संगठन है जो कार्यस्थल पर सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के को पहचानने और मान्यीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

# जन कल्याण ही जय राम सरकार की प्राथमिकता:महेंद्र सिंह ठाकुर

**शिमला/शैल।** जल शक्ति, बागवानी, राजस्व व सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जन कल्याण ही जय राम सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री की इस सोच को साकार करने में 'मुख्यमंत्री हिमाचल हैल्थ केयर स्कीम - हिमकेयर' योजना बहुत कारगर रही है, जिसमें पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये सालाना का स्वास्थ्य बीमा कवर मिला है। प्रदेश में अब तक 2. 31 लाख से अधिक रोगी इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा पर सरकार ने 216 करोड़ रुपये व्यय किए हैं।

महेन्द्र सिंह ठाकुर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के कनूही, छेज, लहसणी, गवैला,दतबाड़, कच्छाली, अप्पर घनाला, संधोल, जोल, चौखडू में जनसमस्याएं सुनने के अवसर पर उपस्थित लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना तथा अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर लम्बित समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए ।

जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी तक लगभग साढ़े 8 लाख लोगों ने हिमकेयर योजना में अपना पंजीकरण कराया है। वहीं मंडी जिले में हिमकेयर में 34 हजार 631 लोगों को 12.58 करोड़ रुपये के लाभ दिए गए हैं। जिले में 1 लाख 9 हजार 926 लोगों ने योजना में अब तक अपना पंजीकरण कराया है।

जल शक्ति मंत्री ने कहा कि जनता को और सहूलियत देते हुए सरकार ने अब हिमकेयर में नए परिवारों का पंजीकरण पूरे वर्ष करने का निर्णय लिया है वहीं इसकी नवीनीकरण अवधि 3 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। अब एक साल की फीस में ही हिमकेयर कार्ड तीन साल के लिए बनाया जा रहा है।

महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल का बिना किसी भेदभाव के एक समान व संतुलित विकास सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सशक्त नेतृत्व में पिछले पौने पांच वर्षो के दौरान कोरोना महामारी के गतिरोध के बावजूद भी प्रदेश में विकास की एक नई गाथा लिखी गई है । प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयासों से आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से प्रदेश में अग्रणी बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश में इस कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जिसका श्रेय देश व प्रदेश के कुशल नेतृत्व तथा प्रदेश के ईमानदार, मेहनती एवं विकास प्रिय लोगों को जाता है।

जल शक्ति मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के संधोल में 45 करोड़ की लागत से 100 बिस्तर की क्षमता वाले अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इस अस्पताल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त संधोल में केंद्रीय विद्यालय, मिनी सचिवालय, सैनिक रेस्ट हाऊस, सीएसडी कैंटीन, ईसीएचएस सुविधा, आईटीआई, कॉलेज, अनेकों सड़कें-पुल, बेहतरीन पेयजल-सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा संधोल व इसके आस-पास की तमाम पंचायतों के लोगों को सुविधा हो इसके लिए सीवरेज सुविधा, बस स्टैंड, नाले की चैनेलाईजेशन, स्टेडियम, तहसील, सर्कुलर रोड़, आधुनिक मोक्ष धाम इत्यादि अनेक करोड़ों-करोड़ों रुपयों के विकासात्मक कार्य करवाए गए हैं।

महेद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जहां प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों से प्रदेशवासियों को लाभ पहुंचा है। वहीं केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना जैसी जन हितैषी पहलों से प्रदेशवासी लाभान्वित हुए हैं। लोगों के कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, सहारा, मुख्यमंत्री हिमकेयर तथा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से राज्य के हर तबके व व्यक्ति को लाभान्वित करने का हरसंभव प्रयास किया है।

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने संधोल में निर्माणाधीन विभिन्न विकासात्मक कार्यो का जायजा भी लिया तथा बताया कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री इनको जनता को समर्पित करेंगे ।

इस अवसर पर मंडल भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत प्रधान घनाला कश्मीर सिंह ठाकुर, दतवाड़ ग्राम पंचायत के प्रधान वीर चंद, ग्राम पंचायत संधोल के प्रधान कुलदीप, उप प्रधान जगदीश, बीडीसी प्रवीण कुमार सहित अधिशाषी अभियन्ता जल शक्ति राकेश पराशर, अधिशाषी अभियंता विद्युत, सुनील चंदेल, एसएमएस बागबानी रमेश ठुकराल, क्षेत्रीय प्रबन्धक एचआरटीसी नरेन्द्र शर्मा, पंचायती राज संस्थानों के पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

# प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिदेशक के निर्देश

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश में अंतरराज्यीय प्रवासी कामगारों का रुझान देखा जा रहा है, जो राज्य में नौकरी की तलाश में आते हैं। ये प्रवासी मजदूर राज्य में बिजली परियोजनाओं, सड़क निर्माण कार्यो, सेब के बागीचो और औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अपराध के आंकड़ों के विश्लेषण से पाया गया है कि कुछ प्रवासी मजदूर अतीत में जघन्य अपराधों में शामिल पाए गए हैं। अपराध करने के बाद, वे राज्य से भाग जाते हैं और उनके स्थायी पते के अभाव में, पुलिस के लिए उन्हे खोजना कठिन हो जाता है।

प्रवासी मजदूरों और घरेलू नौकरों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिदेशक हि. प्र. ने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं और पुलिस मुख्यालय द्वारा दैनिक आधार पर प्रगति की समीक्षा की जा रही है। इन निर्देशों के अनुपालन में, दिनांक 01.06.2022 से 23.08.2022 तक, 5341 प्रवासी मजदूरों, 132 घरेलू नौकरों का पंजीकरण किया गया है। वर्तमान में, राज्य में कुल 1,14,654 प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं, जिनमें से 10332 नेपाल, 27,637 बिहार, 45,813 उत्तर प्रदेश, 3,340 जम्मू-कश्मीर, 2,627 झारखंड और 25,265 भारत के अन्य राज्यों के स्थाई निवासी हैं।

इसके अतिरिक्त, पुलिस महानिदेशक हि.प्र. के निर्देशानुसार प्रदेश में पथ-विक्रेताओं का कार्य करने वालों की पहचान एवं पंजीकरण हेतु 1 अगस्त से 15 अगस्त, 2022 तक एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान राज्य के पुलिस थानों में 911 पथ-विक्रेताओं की पहचान व पंजीकरण किया गया है। पथ विक्रेताओं के पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा भी डीजीपी-हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रतिदिन की जा रही है।

यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राज्य में बाहर से काम करने वाले सभी प्रवासी मजदूरों, घरेलू नौकरों और पथ-विक्रेताओं की पहचान /विवरण पुलिस में दर्ज किया जाए। उपरोक्त कार्यवाही प्रवासी मजदूरों आदि द्वारा किए गए अपराध की रोकथाम व पहचान में सहायक होगी व अपराध करने के बाद राज्य से भागने वाले अपराधियों का पता लगाने में भी अत्यधिक सहायक होगी।

# कुल्लू मनाली हवाई अड्डे के लिए एटीआर 42 विमान की सुविधा शुरू

**शिमला/शैल।** पूर्व सांसद एवं विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष की बात है कि एयर इंडिया की सहायक कंपनी एलायंस एयर का ए.टी.आर. 42 विमान भुंतर स्थित कुल्लू मनाली हवाई अड्डे पर सफ़लतापूर्वक यात्रियों सहित उतरा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह विमान सेवा शुरू हुई परंतु मौसम ख़राब होने की वजह से विमान केवल चंडीगढ़ तक आ पाया व भुंतर के लिए उड़ान नहीं भर सका।

उन्होने कहा कि इस विमान सेवा को न केवल कुल्लू मनाली हवाई अड्डे अपितु प्रदेश के अन्य दो हवाई अड्डों पर आरंभ करने के लिए अपने संसदीय कार्यकाल से ही मैं प्रयासरत था। उन्होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल (रिटायर्ड) वी. के. सिंह जी व समस्त केंद्रीय मंत्रीमंडल का आभार प्रकट किया और कहा कि आप सभी के सहयोग व प्रयास से कुल्लू मनाली हवाई अड्डे हेतु एलायंस एयर द्वारा ए. टी.आर. 42 विमान की सुविधा प्रारंभ हो सकी।

उन्होने कहा कि निश्चित तौर पर इस विमान सेवा के प्रारंभ होने से कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटकों व आम जनमानस को सुविधा मिलेगी क्योंकि अब इस विमान का रुकाव चंडीगढ़ में भी होगा। एटीआर विमान कुल्लू मनाली हवाई अड्डे के छोटे रनवे पर संचालित करने में सक्षम है व इस छोटी क्षमता वाले एटीआर 42 विमान में कम परिचालन लागत और कम पे-लोड प्रतिबंध हैं। उन्होने दिल्ली-कुल्लू विमान सेवा के किराए को कम करवाने के लिए भी केंद्र से आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली हवाई अड्डे के लिए एटीआर 42 विमान की सुविधा उपलब्ध होने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश के अन्य दो हवाई अड्डों के लिए भी यह विमान सेवा शीघ्र उपलब्ध हो जाएगी। जिस से प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को तो लाभ होगा ही साथ ही आम जनमानस को भी बेहतर सुविधा प्राप्त होगी।

# यूआरसीएच परियोजना के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों का हो रहा शोषण

**शिमला/शैल।** यूआरसीएच फीमेल हेल्थ वर्करज़ यूनियन सम्बन्धित सीटू का एक प्रतिनिधिमंडल सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में प्रबंध निदेशक, नेशनल हैल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश से मिला व उन्हें एक मांग-पत्र सौंपा। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें पिछले पांच महीने का बकाया वेतन न मिला व अन्य मांगें एक सप्ताह के भीतर पूर्ण न हुई तो यूनियन आंदोलन एनएचएम कार्यालय का घेराव करेगी।

सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, यूनियन अध्यक्ष काम्या चौहान व महासचिव मोनिका ने कहा है कि नेशनल हैल्थ मिशन के अंतर्गत अर्बन रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ परियोजना के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों का भारी शोषण हो रहा है। इन कर्मचारियों को अप्रैल 2022 से वेतन नहीं मिला है। इस मांग को लेकर कर्मचारी दो बार एनएचएम प्रबंध निदेशक से मिल चुके हैं परन्तु कर्मचारियों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों को पिछले पांच महीने से सिर्फ आशवासन ही मिल रहे हैं। वेतन न मिलने से कर्मचारियों के परिवार काफी दिक्कत में हैं। ये कर्मचारी एएनएम,जीएनएम अथवा बीएससी नर्सिंग डिप्लोमा होल्डर हैं व उच्च कुशल श्रेणी का कार्य कर रहे हैं। ये कर्मचारी कई एनजीओ के माध्यम से पिछले कई वर्षो से यूआरसीएच के माध्यम से एनएचएम में कार्य कर रहे हैं परन्तु उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। उन्हें केंद्र व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। इन कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट का समय पर नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। बारह सालों से कार्यरत इन कर्मचारियों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

उन्होंने मांग की है कि कर्मचारियों को केंद्र अथवा प्रदेश सरकार द्वारा घोषित उच्च कुशल श्रेणी का वेतन दिया जाए। इन कर्मचारियों को वर्ष 2011 से केवल मात्र 8 हज़ार रुपये वेतन दिया जा रहा है। पिछले 12 वर्षो में कर्मचारियों के वेतन में एक भी रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई है। इनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए। कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश के अलावा अर्जित, आकस्मिक, मेडिकल, त्योहार, राष्ट्रीय, प्रसूति अवकाश सहित सभी प्रकार की छुटियां दी जाएं। सभी कर्मचारियों को ईपीएफ सुविधा लागू की जाए। सभी कर्मचारियों को ईएसआई अथवा मेडिकल सुविधा लागू की जाए। कार्य की निरंतरता के मध्यनजर सभी कर्मचारियों को एनजीओ के बजाये एनएचएम के अंतर्गत नियुक्त किया जाए। वर्ष 2019 में की गई 400 रुपये की बढ़ोतरी में कटौती कर दी गयी है। इसे बहाल किया जाए। कर्मचारियों को टीए, डीए की सुविधा दी जाए। कर्मचारियों को जो भी कार्य आबंटित किया जाए, वह लिखित में किया जाए। लिखित में आबंटित कार्य के अलावा कार्य करवाने के बदले कमर्चारियों को अतिरिक्त वेतन दिया जाए।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

# पहाड़ को मैदान बनाने के प्रयास घातक होंगे

## वोट की राजनीति भारी पड़ सकती है एन जी टी के फैसले पर

**शिमला/शैल।** नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 16-11-2017 को दिये अपने फैसले में शिमला के कोर एरिया में नये निर्माणों पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। नॉन कोर ऐरिया में भी अढ़ाई मंजिल से अधिक के निमार्ण पर प्रतिबन्ध है। यहां पर निमार्ण की संस्तुति के लिये कुछ कमेटियां भी गठित की है। एन जी टी का फैसला आने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। क्योंकि फैसले में सरकार को प्लानिंग पॉलिसी बनाने के भी निर्देश दिये गये थे। पूरा प्रदेश भूकम्प जोन में आता है। एन जी टी ने योगेन्द्र मोहन सेन की याचिका पर फैसला देते हुए स्पष्ट कहा है कि फैसला देने से पहले कैग की रिपोर्ट पर चिन्तन मनन किया गया है। कैग ने स्पष्ट कहा है कि there was no proper regulation of constructions in hill areas of himachal pradesh resulting in earthquakes and other calamities. कैग के अतिरिक्त आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों पर भी विचार किया गया है। इसी के साथ एन जी टी ने इस संद्धर्भ में गठित विशेषज्ञ कमेटियों की रिपोर्टो पर भी विचार किया है। 24-05-2017 को आयी विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट का फैसले मे उल्लेख भी है।

**Recommendations on Disaster Risk Management** From a Disaster Risk Management perspective , shimla has far exceeded its carrying capacity, Uncontrolled and unsafe constructionover decades has created and extremely vulnerable built environment in Shimla. A major earth Quake will lead to unprecedented loss of lives, cripple the administration and disrupt all sectors of the economy particularly the tourism sector. Any further increase in the density of the built environment will exponentially increase the risk of the damages and losses from disasters. Infact, there is a need to reduce the density of shimla by taking some bold steps including some conservative surgery of the current built environment by removing or retrofitting some of the most vulnerable buildings.

The committee presents its recommendation in three categories:

**Stop** the creation of new vulnerabilities and risks;

**Reduce** existing vulnerabilities and risks; and

**Increase** local emergency response capacity for a major Earthquake.

लेकिन वोट की राजनीति से ग्रसित सरकार ने एन जी टी के फैसले की अनुपालना करने की बजाये इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौति दे दी जहां पर यह मामला अभी तक लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने एन जी टी के फैसले को स्टे तक नही किया है। इसका अर्थ है कि एन जी टी का फैसला आज भी पूरी तरह लागू है। इसी बीच सरकार ने कई और याचिकाएं एन जी टी में दायर की जिन्हे अस्वीकार कर दिया गया। बल्कि एक प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी अपने पुराने भवन को गिरा कर नया भवन बनाने की अनुमति दिये जाने के लिये दायर की थी और एन जी टी ने इसे अस्वीकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में 16-11-2017 के फैसले के खिलाफ दायर हुई याचिका अब तक विचाराधीन है। लेकिन इसी बीच प्रदेश उच्च न्यायालय में एन जी टी के कुछ फैसलों का चुनौति दे दी गयी। उच्च न्यायालय ने सरकार की सारी याचिकाएं यह कह कर खारिज़ कर दी है कि जब मुख्य फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौति दी जा चुकी है तब इन याचिकाओं को भी वहीं उठाया जाये। प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष यह मामले उठाये गये थे। So far as CWP No. 7105 of 2021 is concerned, the challenge has been made to the order dated 13.9.2021 (Annexure P-8), whereby the applications bearing MA No. 59 of 2021 and MA No. 60 of 2021 were dismissed. So far as MA No. 59 of 2021 is concerned, the construction alleged to be involved was with regard to installation of lift in existing structure of the building along with remodeling of roof and so far as MA No. 60 of 2021 is concerned, it involves construction with regard to lift and ramp for physically challenged persons in Ellerslie Main Building at H.P. Secretariat, Shimla-2; visitors' waiting hall for Chief Minister Office; extension of car parking at Armsdale Building at H.P. Secretariat, Shimla and multi-storey parking and office accommodation at Armsdale Phase-III, H.P. Secretariat Shimla-2.

So far as CWP No. 295 of 2022 is concerned, the petitioner -State has challenged the order dated 31.8.2021, passed in MA Nos. 56, 57 and 58 of 2021, whereby the applications filed by the State for a direction to permit the project of multi-level parking and other commercial activities, including hotel on the railway land (Railway Godown below Winter Field) at Shimla and for permission to file additional documents, were dismissed.

इस पर उच्च न्यायालय ने साफ कहा है Respondent No.1 Yogendra Mohan Sengupta had approached the Tribunal by filing Original Application No. 121 of 2014. The said application was disposed of by the Tribunal vide order dated 16.9.2017 (Annexure P-1). Admittedly, aggrieved against the said order, petitioner-State has filed an appeal before the Hon'ble Supreme Court under Section 22 of the National Green Tribunal Act, 2010.

Thereafter, the petitioner-State moved some miscellaneous applications, seeking permission to raise constructions or other commercial activities. The said applications have been rejected by the Tribunal vide impugned orders dated 13.8.2021 and 13.9.2021. The orders under challenge in the present petitions have arisen out of miscellaneous applications filed in O.A. No. 121 of 2014. Since the appeal against order dated 16.11.2017, passed by the Tribunal in O.A. No. 121 of 2014 is pending consideration before the Hon'ble Supreme Court, we are of the considered opinion that the orders passed by the Tribunal, arising out of miscellaneous applications filed in O.A. No. 121 of 2014 are liable to be challenged before the Hon'ble Supreme Court, so that they can be considered and decided alongwith the appeal, pending before the Hon'ble Supreme Court. It is not understandable as to why these petitions have been filed before this Court, when the matter is already sub-judice before the Hon'ble Supreme Court vis-à-vis order dated 16.11.2017, passed in the Original Application. The miscellaneous applications can be said to be an off-shoot of the main case. लेकिन इस वस्तुस्थिति के बाद भी यह निर्माण सचिवालय में चलते रहे हैं। इसमें सबसे रोचक तथ्य तो यह है कि सरकारी निर्माणों पर टी सी पी अधिनियम की धारा 38 लागू होती है। धर्मशाला के मकलोड़गंज प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में यह एक बड़ा आधार रहा है। परन्तु यहां पर किसी भी सरकारी निर्माण में इसकी अनुपालना नही हुई है। स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहे निर्माणों में भी इसकी अवहेलना हुई है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि वोट की राजनीति के चलते पहाड़ को मैदान बनाने के जो प्रयास हो रहे हैं उनके परिणाम कालान्तर में घातक होंगे।

# क्या प्रदेश कांग्रेस

......पृष्ठ 1 का शेष

इस परिदृश्य में जहां कांग्रेस को सरकार और सबसे अमीर पार्टी भाजपा का मुकाबला करना है वहां संगठन की एकजुटता का संदेश व्यवहारिक रूप से देना बहुत आवश्यक हो जाता है। इस समय सरकार लगभग प्रतिदिन अपनी योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन करने में लगी हुई है। इन सम्मेलनों को सफल बनाने के लिए पूरा तन्त्र निर्देशित है। लेकिन तन्त्र की इस संलिप्तता पर कांग्रेस नेतृत्व अधिकांश में खामोश चल रहा है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि अधिकांश बड़े नेता अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों तक ही सीमित होकर रह गये हैं। जितने बड़े आकार की प्रदेश कार्यकारिणी गठित है आज यदि सारे पदाधिकारी टिकटार्थी बन जाते हैं तो उन्हीं में सहमति बना पाना काफी कठिन हो जायेगा। अभी ही पार्टी ने जितने चुनावी वायदे कर रखे हैं उनके लिये वित्तीय संसाधन कहां से आयेंगे? क्या जनता पर करों का बोझ लादा जायेगा या प्रदेश का कर्ज बढ़ेगा। इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में देना पड़ेगा। क्योंकि इसका जवाब दिये बिना सरकार पर कर्ज बढ़ाने का आरोप लगाना आसान नहीं होगा। इस समय कांग्रेस की आक्रामकता लगभग शून्य हो गयी है। यदि इस स्थिति में समय रहते सुधार न हुआ तो स्थितियां आसान नहीं होंगी यह तय है।

# लोक सेवा आयोग में सरकार से राजभवन तक नहीं हो पाया अदालत के फैसलों का सम्मान

## कांग्रेस के सवालों का नहीं आया जवाब

**शिमला/शैल।** इस समय हर बढ़ते पल के साथ प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही है क्योंकि निकट भविष्य में विधानसभा के लिये चुनाव होने है। सरकार सत्तारूढ़ दल और विपक्ष का हर छोटा बड़ा फैसला राजनीति के आइने में देखा जा रहा है। ऐसा होना स्वभाविक भी है क्योंकि यही सब कुछ तो राजनीति है और इसी से एक दूसरे को घेरा जायेगा। इसी परिप्रेक्ष में जब सरकार ने लोक सेवा आयोग के लिये अध्यक्ष और तीन सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की तथा दूसरे दिन सुबह 8.30 बजे राजभवन में इस आश्य का शपथ ग्रहण समारोह रख दिया गया तब इस पर इतनी खबरें नहीं छपी जितनी इस समारोह के रद्द होने पर छप गयी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने समारोह स्थगित होने पर सरकार पर एक लम्बी प्रश्नावली दाग दी। इसका जवाब अभी तक नहीं आया है। स्वभाविक है कि चुनावों में भी यह सवाल पूछा जायेगा। उस समय यह सामने आया कि तब नियुक्त हुई अध्यक्ष डॉ. रचना गुप्ता ने किन्ही व्यक्तिगत कारणों से यह पद लेने से इन्कार कर दिया। तब यह भी सामने आया कि यह अधिसूचना जारी होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के तय समय से पहले ही हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रदेश के राज्यपाल के संज्ञान में 2013 का सुप्रीम कोर्ट तथा पर फरवरी 2020 का प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले ला दिये गये थे जिनमें इन नियुक्तियों के लिये प्रक्रिया तय करने तथा नियम बनाने के निर्देश दिये गये थे। तब लगा था कि अदालत के फैसले संज्ञान में आने के बाद सरकार से लेकर राजभवन तक अब इनकी अनुपालन सुनिश्चित करवायेगा।

लेकिन इसके करीब एक सप्ताह बाद जब फिर से अध्यक्ष और तीन सदस्यों की नियुक्तियों की नयी अधिसूचना जारी हुई तब उनको पढ़ने से यह तो स्पष्ट हो गया कि पहले की अधिसूचना को रद्द करके नये सिरे से यह नियुक्तियां की गयी हैं। परन्तु पहली नियुक्ति रद्द होने की अधिसूचना मीडिया तक उपलब्ध नहीं करवाई गयी। न ही नयी अधिसूचना से यह सामने आया कि अब कोई प्रक्रिया और नियम अपनाये गये हैं। केवल इतना स्पष्ट होता है कि पहला फैसला लेने के तुरन्त बाद किसी स्तर किसी को यह लगा कि राजनीतिक तौर पर यह फैसला नुकसान देह होगा। इसलिये इसे वापस लिया जाये। परन्तु फैसला वापिस लेने की राय देने वाले यह भूल गये कि जो सवाल उछल चुके हैं वह बिना जवाब के शान्त नहीं होंगे। क्योंकि यह अपने में ही गले नहीं उतरता कि एक व्यक्ति के पास सदस्य के रूप में काम करने के लिये समय है और अध्यक्ष के लिये समय नहीं हो। यह कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि इस नियुक्ति के लिये पूर्व सहमति नहीं रही होगी। यदि सरकार के सलाहकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझकर सरकार को राय देते तो सारी फजीयत से बचा जा सकता था। क्योंकि अदालत ने जब तक सरकार नियम प्रक्रिया नहीं बना लेती तब तक स्वयं एक प्रक्रिया सुझाई है जिसमें मुख्यमन्त्री विधानसभा स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष सर्च कमेटी की जिम्मेदारी निभायेंगे। सलाहकारों की भूमिका से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे हाथों में सत्ता ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं है। बल्कि जो हुआ है वह जानबूझकर एक व्यक्ति को नीचा दिखाने वाला बन जाता है।

ऐसे में यह सवाल अहम हो जाता है कि जब प्रशासन के पास नियुक्तियों को अदालती फैसले के परिदृश्य में लाकर सारी फजीयत से बचने का अवसर था तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? अदालती फैसलों का भी सम्मान न करने का आरोप क्यों आने दिया गया? क्या इससे न चाहते हुए भी आम आदमी सरकार से परिवार हरेक पर क्यास लगाने के लिये बाध्य नहीं हो जाता है?